प्राक्कथन

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) कर्मियों को उचित कार्यालय तथा आवासीय सुविधाओं का बल के मनोबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हैं क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में लंबे समय के लिए कार्य करते हैं। लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा कार्यालय तथा आवासीय व्यवस्था के लिए अवसरंचना के सृजन के लिए प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद, वास्तविकता चिंताजनक है। गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) ने इकाइयों के उत्थापन को संस्वीकृत करते समय कार्यालय एवं आवासीय इमारतों के निर्माण के लिए पर्याप्त संस्वीकृति से नहीं जोड़ा, जिसके कारणवश सी.ए.पी.एफ. के लिए कार्यालय तथा रिहायशी इकाइयों में कमी हुई थी। निर्माण योजना एवं गतिविधियों के लिए रूपरेखा को भी एम.एच.ए. द्वारा उत्तरोत्तर रूप से संशोधित भी किया गया था, परंतु परिणाम उत्साहजनक नहीं थे, जो सी.ए.पी.एफ. में मौजूदा निम्न आवासीय संतुष्टि स्तर से स्पष्ट है।

यह अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा सी.ए.पी.एफ. में निर्माण गतिविधियों की स्थिति का आकलन करता है तथा उन कारणों का विश्लेषण करता है कि क्यों सरकार इस महत्वपूर्ण कल्याण संकेतक पर पीछे रह रही थी। राज्य सरकारों से सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि के अधिग्रहण में विलंब, कार्यकारी एजेंसियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, निर्माण परियोजनाओं में अधिक लागत एवं अधिक समय, कार्यकारी एजेंसियों तथा सी.ए.पी.एफ. के बीच समन्वय की कमी तथा सी.ए.पी.एफ. एवं कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निर्माण परियोजनाओं की खराब मॉनीटरिंग जैसे मुख्य विषयों को सुलझा पाना शेष था। यदि सरकार समय पर सी.ए.पी.एफ. को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने में सफल होना चाहती है तो इन कमियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

हमे उम्मीद है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु बनाया गया यह प्रतिवेदन सीमाओं की रक्षा कर रहे तथा आतंकवाद एवं नक्सलवाद से हमें आतंरिक सुरक्षा प्रदान कर रहे जवानों के लिए अत्यंत महत्व के इस कार्य में शामिल सरकार के आयोजकों एवं प्रशासकों को कुछ संकेत देगा।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानदंडो के अनुसार संचालित किया गया है।